कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

फोन नं0–0135–2608107, फैक्स नं0–2608108

पत्रांक 808 / अधि0 / दो–21(2) / 2011 दिनांक 26 जुलाई, 2011

कार्यालयादेश

परिवहन विभाग में परिवहन कर अधिकारी–1 के पद पर कार्यरत अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालयादेश संख्या–411 / अधि0 / दो–21(2) / 2006 दिनांक 09–10–2006 के द्वारा जारी की गई थी। तदनन्तर लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा सीधी भर्ती / पदोन्नति के पदों पर चयनित / प्रोन्नत कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये परिवहन कर अधिकारी–1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालयादेश संख्या–2334 / अधिष्ठान / दो–21(3) / 2010 दिनांक 10 अगस्त, 2010 के द्वारा प्रकाशित करते हुये सभी सम्बन्धितों से अभ्यावेदन मांगे गये थे। ऐसे अभ्यावेदन / प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु उन्हें सूची के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन का समय प्रदान किया गया था।

2– इस प्रकार प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर 04 परिवहन कर अधिकारी–1 सर्वश्री रमेश चन्द्र कन्नौजिया, गोविन्द लाल आर्य, करम सिंह एवं श्रीमती रश्मि भट्ट के द्वारा आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी। जिन्हें कार्यालय के पत्र संख्या–3285 / अधिष्ठान / दो–21(3) / 2010 दिनांक 18–10–2010 के द्वारा दिनांक 20–10–2010 को उपस्थित होकर प्रस्तुत आपत्तियों के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री आर0सी0 कन्नौजिया द्वारा हरिद्वार जनपद में विभागीय बैठक में भाग लेने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये परिवहन आयुक्त कार्यालय के कार्यालयादेश सं0–619 / अधि0 / दो–51 / 2007–08 दिनांक 12–05–2008 का संज्ञान लेते हुये कार्य, अनुभव एवं अवधि के अनुसार उचित स्थान पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया था। शेष 02 आपत्तिकर्ता श्री करम सिंह एवं श्रीमती रश्मि भट्ट परिवहन कर अधिकारी–1 निर्धारित तिथि को उपस्थित हुये और उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

3– प्राप्त आपत्तियों में उल्लिखित तथ्यों एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि–

(1) श्री आर0सी0 कन्नौजिया द्वारा पत्र दिनांक 17–08–2010 एवं 20–10–2010 में आपत्ति की गई है कि सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्र सं0–103 / 24डीपीसी / सेवा / 2006–07 दिनांक 06–05–2008 की संस्तुति के आधार पर आदेश सं0–619 / अधि0 / दो–51 / 2007–08 दिनांक 12–05–2008 के द्वारा उन्हें यात्रीकर अधिकारी के पद पर नियमित करते हुये वर्ष 2004–05 आवंटित किया गया है। उनके नाम के पश्चात् श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे का नाम अंकित है। प्रार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। अतः ज्येष्ठता सूची में उनका नाम नियमानुसार उचित स्थान पर अंकित किया जाय।

इस सम्बन्ध में यह पाया गया है कि कार्यालयादेश आदेश सं0–619/अधि0/दो– 51/2007–08 दिनांक 12–05–2008 के द्वारा यात्रीकर/मालकर अधीक्षकों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर नियमित रूप से यात्री कर अधिकारी (संशोधित पदनाम परिवहन कर अधिकारी–1) के पद पदोन्नति प्रदान की गई है। श्री रमेश चन्द्र कन्नौजिया को वर्ष 2004–05 का चयन वर्ष आवंटित किया गया है।

उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम–8 के उपनियम–(2) के खण्ड ख के अनुसार "पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्टता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार पदोन्नत एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है, यथा स्थिति नियम–6 या 7 मे दिये गये सिद्वान्तों के अनुसार अवधारित की जायेगी। नियम–6 ओर नियम–7 में यह व्यवस्था है कि पदोन्नति में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी। " परिवहन कर अधिकारी–1 पूर्वनाम यात्रीकर अधिकारी का पोषक संवर्ग यात्रीकर अधीक्षक का था। जिसकी ज्येष्ठता सूची में श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय का नाम कमांक 8 पर एवं श्री रमेश चन्द्र कन्नौजिया का नाम कमांक 9 पर है। अतः पोषक संवर्ग में दोनो की ज्येष्ठता के आधार पर परिवहन कर अधिकारी–1 के पदोन्नत पद पर उक्त व्यवस्था के अनुसार मूल सवंर्ग (परिवहन कर अधिकारी–2) की ज्येष्ठता के अनुसार वनी रहेगी। अतः एतद्विषयक श्री कन्नौजिया की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(2) श्री गोविन्द लाल आर्य ने अपने आपत्ति पत्र दिनांक 23–08–2010 द्वारा आपत्ति की है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका गृह जनपद अल्मोडा के स्थान पर नैनीताल किया जाय एवं उनकी जन्मतिथि 01–01–1954 के स्थान पर 01–08–1954 अंकित की जाय। उन्होने यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2007–08 दिया गया है जबकि अन्य विभागीय अधिकारियों को चयन वर्ष 2004–05 आवंटित किया गया है। श्री आर्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के प्रोन्नति/विज्ञप्ति आदेश सं0–98/अधि0/दो–51/2004 दिनांक 09–08–2004 के द्वारा उन्हे स्थानापन्न रूप से यात्रीकर अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति दी गई है, तथा दिनांक 09–08–2003 से उन्हें यात्रीकर अधिकारी के पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। तब से उनके द्वारा यात्रीकर अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। यात्रीकर अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उन्हें 2007–08 का चयन वर्ष आवंटित किया गया है। इससे पूर्व कार्यालयादेश सं0–3082/सा0प्र0/दो–21(2)/2008 दिनांक 14–11–2008 के द्वारा जारी यात्रीकर अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे एवं उन्हे वर्ष 2007–08 आवंटित था, परन्तु अब जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री पाण्डे को वर्ष 2004–05 का चयन वर्ष और उन्हे 2007–08 का चयन वर्ष आवंटित किया गया है।

उनके द्वारा ज्येष्ठता सूची में नाम उचित क्रम पर रखने व चयन वर्ष 2004–05 आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या–103/24/डी0पी0सी0/सेवा/2006–07 दिनांक 06–05–2008 के द्वारा श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे को चयन वर्ष 2007–08 दिया गया है। अतः एतद्विषयक श्री गोविन्द लाल आर्य द्वारा की गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है। यात्रीकर अधीक्षकों (वर्तमान पदनाम–परिवहन कर अधिकारी–2) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालयादेश संख्या–373/अधि0/दो–21(3)/2006 दिनांक 17–08–2006 द्वारा अन्तिम करते हुये प्रकाशित की गई थी। उसके विरूद्व श्री गोविन्द लाल आर्य द्वारा वर्तमान में की गई आपत्ति ग्राहय नहीं है। परिवहन कर अधिकारी–1 की वर्तमान ज्येष्ठता सूची में श्री आर्य की परस्पर ज्येष्ठता वही है, जो इस पद की पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग मे परिवहन कर अधिकारी–2 की ज्येष्ठता थी। इस विषय में आर0 सी0 कन्नौजिया के प्रकरण में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। अतः एतद्विषयक श्री आर्य की आपत्ति ग्राहय नहीं है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में टंकण की त्रुटि के कारण उनकी जन्म तिथि 01–08–1954 के स्थान पर 01–01–1954 एवं उनका गृह जनपद नैनीताल के स्थान पर अल्मोडा हो गया था। जिसे अन्तिम ज्येष्ठता सूची में ठीक कर लिया गया है।

(3) श्रीमती रश्मि भट्ट ने अपने आपत्ति पत्र दिनांक 20–08–2010 द्वारा आपत्ति की है कि परिवहन कर अधिकारी–1 की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 16 पर अंकित है जबकि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सिविल सेवा, 2004 के अन्तिम परिणाम के बाद जारी चयनित सूची में उनका नाम क्रमांक 05 पर श्री मनीष तिवारी के पश्चात् है। श्रीमती भट्ट द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपना नाम (श्री मनीष तिवारी के नाम के बाद) क्रमांक 12 पर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा 2004 के परीक्षा परिणाम के आधार पर श्रीमती रश्मि भटट का चयन लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा परिवहन कर अधिकारी–1 के सीधी भर्ती के पद पर किया गया है। श्रीमती रश्मि भटट की नियुक्ति विज्ञप्ति सं0–1691/अधि0/दो–136/2009 दिनांक 06–07–2009 के द्वारा की गई है। उनके द्वारा दिनांक 16–07–2009 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। उनका नाम लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित श्रेष्ठता सूची में श्री मनीष तिवारी के नाम के पश्चात अंकित है। अतः तद्नुसार आयोग से प्राप्त श्रेष्ठता क्रमांक के अनुसार परिवहन कर अधिकारी–1 की ज्येष्ठता सूची में श्रीमति भट्ट का नाम क्रमांक 12 पर श्री मनीष तिवारी के नाम के पश्चात् रख दिया गया है।

(4) श्री करम सिंह द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 11–08–2010 द्वारा यह आपत्ति की गई है कि परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि 01–08–1979 है, जबकि श्री पूरन चन्द्र जोशी की नियुक्ति की तिथि 09–04–1981 है। श्री जोशी को परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर रिक्ति वर्ष 1981–82 आवंटित किया गया है। जबकि उन्हें वर्ष 1995–96 आवंटित किया गया है, जोकि प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें रिक्ति वर्ष 1979–80 आवंटित करते हुये ज्येष्ठता निर्धारित की जाय।

श्री करम सिंह द्वारा यात्रीकर अधीक्षक (वर्तमान पदनाम परिवहन कर अधिकारी–2) के पद पर अपनी ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका संख्या–682/एसएस/2010 श्री करम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य दायर की गई थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12–03–2010 को यह आदेश पारित किये गये थे कि याची सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देगें, और सक्षम अधिकारी उस पर प्रत्यावेदन देने की तिथि से 08 सप्ताह के अन्दर निर्णय देगें।

उक्त के कम में श्री करम सिंह द्वारा दिनांक 28–08–2010 को प्रत्यावेदन दिया गया। जिसमें उनके द्वारा अन्य के अतिरिक्त उक्त आपत्तियों का भी उल्लेख किया गया था। श्री करम सिंह को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/आपत्ति के संदर्भ में दिनांक 20–10–2010 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के उपरान्त यह पाया गया कि पोषक संवर्ग में आशुलिपिक के पद पर श्री पूरन चन्द्र जोशी की नियुक्ति की तिथि श्री करम सिंह की नियुक्ति की तिथि 17–05–1977 से पूर्व दिनांक 01–05–1976 है। श्री करम सिंह का विनिमितिकरण यात्रीकर अधीक्षक के पद पर दिनांक 21–01–2004 को 1995–96 का चयन वर्ष आवंटित करते हुये किया गया है। जबकि श्री जोशी को चयन वर्ष 1981–82 आवंटित किया गया है। इस प्रकार श्री पी0 सी0 जोशी श्री करम सिंह से ज्येष्ठ है। तदनुसार परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश संख्या–3417/अधि0/दो–151/2010 दिनांक 23–10–2010 के द्वारा श्री करम सिंह के प्रत्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी परिवहन कर अधिकारी–1 द्वाराअनन्तिम सूची के विरूद्व कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः तदनुसार परिवहन कर अधिकारी–1 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की जाती है।

संलग्न–यथोपरि।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

पत्रांक 208 (1)/अधिष्ठान/दो–21(2)/2011 समदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

2– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सम्बन्धित परिवहन कर अधिकारी–1 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
4– अधिष्ठान पत्रावली।
5– ज्येष्ठता पत्रावली।

(एस0 रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।

जारी किया
26/7/11

परिवहन कर अधिकारी–1 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

क्र0 सं0	नाम	नियमित नियुक्ति का दिनांक	श्रेणी	गृह जनपद	जन्म तिथि	चयन वर्ष	भर्ती का स्रोत	अभ्युक्ति
1	श्री पूरन चन्द्र जोशी	05–06–2000	सामान्य	नैनीताल	09–09–54	1998–99	पदोन्नति	सहा0 स0प0अ0 के पद पर प्रोन्नत
2	श्री के0सी0 उनियाल	05–06–2000	–तदैव–	टिहरी	13–07–53	1998–99	–तदैव–	–तदैव–
3	श्री मनमोहन जायसवाल	12–05–2008	–तदैव–	देहरादून	22–04–49	2004–05	–तदैव–	सेवा निवृत्त
4	श्री आनन्द कुमार जायसवाल	20–06–2009	–तदैव–	उ0प्र0	01–01–79	2004–05	सीधी भर्ती	
5	श्री एम0एम0एस0 रावत	17–07–2008	–तदैव–	पौड़ी	29–09–49	2004–05	पदोन्नति	सेवा निवृत्त
6	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	20–06–2009	–तदैव–	उ0प्र0	25–05–76	2004–05	सीधी भर्ती	
7	श्री हरवंश लाल तलवार	12–05–2008	–तदैव–	देहरादून	17–07–50	2004–05	पदोन्नति	सेवा निवृत्त
8	श्री विमल पाण्डेय	20–06–2009	–तदैव–	नैनीताल	19–01–73	2004–05	सीधी भर्ती	
9	श्री करम सिंह	12–05–2008	अनु0जाति	देहरादून	12–12–51	2004–05	पदोन्नति	
10	श्री मनीष तिवारी	20–06–2009	सामान्य	अल्मोड़ा	03–11–72	2004–05	सीधी भर्ती	
11	श्री गिरीश चन्द्र लोहनी	12–05–2008	–तदैव–	नैनीताल	03–11–54	2004–05	पदोन्नति	मृत्यु
12	श्रीमती रश्मि भट्ट	06–07–2009	–तदैव–	पिथौरागढ़	14–02–77	2004–05	सीधी भर्ती	
13	श्री रमेश चन्द कन्नौजिया	12–05–2008	अनु0जाति	देहरादून	03–01–53	2004–05	पदोन्नति	
14	कु0 पूजा नयाल	20–06–2009	सामान्य	नैनीताल	17–06–80	2004–05	सीधी भर्ती	
15	श्री संदीप वर्मा	20–06–2009	अ0पि0व0	उ.सिं.नगर	05–07–73	2004–05	सीधी भर्ती	
16	श्री सुरेन्द्र कुमार	06–07–2009	अनु0जाति	पिथौरागढ़	12–05–79	2004–05	सीधी भर्ती	
17	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे	12–05–2008	सामान्य	अल्मोड़ा	16–01–56	2007–08	पदोन्नति	
18	श्री गोबिन्द लाल आर्य	12–05–2008	अनु0जाति	नैनीताल	01–08–54	2007–08	पदोन्नति	

(एस0रामास्वामी)
परिवहन आयुक्त।